न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक: 28.02.2025

मुकदमा नम्बर 25/2022
ऑनलाईन नम्बर 2022/53
फुलसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी झन्झेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रार्थी—

बनाम

1. भैरूसिंह
2. कालूसिंह — पुत्रगण मोहनसिंह
3. भंवरकंवर पत्नि मोहनसिंह
4. शोभूकंवर
5. सन्तूकंवर — पुत्रिया मोहनसिंह
6. कमलकंवर पत्नि भीमसिंह
7. दशरथसिंह
8. प्रतापसिंह
9. रणवीरसिंह — पुत्रगण मोहनसिंह
10. उषाकंवर पुत्री भीमसिंह
11. कुशालसिंह पुत्र मुलसिंह

जति राजपूत निवासी झन्झेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़
13. उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय श्रीडूंगरगढ़
14. वीर विक्रम सिंह पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी झंझेऊ

—अप्रार्थीगण—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 5 व 14
3. श्री के.के. पुरोहित अप्रार्थी सं. 6 ता 11
4. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है उपरोक्त अनुवानी दावा न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया जा चुका है जिसमें सफलता मिलने की पूरी–पूरी संभावना प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नंबर 194 तादादी 6.0000 हैक्टेयर खसरा नंबर 405 तादादी 2.7500 हैक्टेयर रोही झन्झेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। जिनमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा अवस्थित है। वादगत खेत खसरा नंबर 194 तादादी 6.0000 हैक्टेयर खसरा नंबर 405 तादादी 2.7500 हैक्टेयर रोही झन्झेऊ में से 1/6 हिस्सा की पर कब्जा–काश्त व उपयोग–उपभोग प्रार्थी का लगातार चला आ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 15:35:07 IST
Reason: SelfAttested

ता 5 का 1/3 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 6 ता 10 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 का 1/3 हिस्सा पर कब्जा-काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। संयुक्त खातेदारान के आपसा में प्रार्थी के 1/6 हिस्सा की एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का 1/3 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 6 ता 10 का 1/6 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 के 1/3 हिस्सा हिस्से पांती में आये हुए है। प्रार्थी उक्त खसरा नंबर 194 तादादी 6.0000 हैक्टेयर खसरा नंबर 405 तादादी 2.7500 हैक्टेयर रोही झन्झोऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित अपने हक हिस्से की 1/6 हिस्सा का विभाजन करवाना चाहता है एवं इसी अनुसार प्रार्थी ने अपनी खातेदारी हिस्सा की कब्जा-काश्त क़ी पर सुधार कार्य करवाकर उपजाऊ बना रखी है। तथा मेढ़ कर रखी है परन्तु का विधिवत् रूप से विभाजन नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपने हिस्से की कृषि से सम्बधित हर तरह कार्य करवाने एवं बैंक से ऋण लेने में कई तरीके की कठिनाई आती है । प्रार्थी ने अप्रार्थी से वादगत खेत के खातेदारी घोषणा एवं विभाजन बाबत निवेदन किया तो अप्रार्थी ने ऐसा करने से दिनांक 11.03.2022 को स्पष्ट इनकार कर दिया । इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी चिरनिषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से दिनांक 11.03.2022 को वादगत खेत की घोषणा एवं विभाजन करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थी ने ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इनकार हो गये। और प्रार्थी को धमकिया दी कि वादगत खेत में मेरे खातेदारी दर्ज है मेरे नाम है। मैं वादगत को में से तुम्हे बेदखल कर देगे एवं वादगत खेत को किसी अन्य शख्स को विक्रय कर देगे। वादगत खेत में प्रार्थी का कब्जा काश्त होने एवं प्रार्थी व अप्रार्थी का संयुक्त खातेदारी के होने व अप्रार्थी द्वारा दिनांक 11.03.2022 की इनकारी से प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध वादाधार व वाद हेतु हासिल है। वादगत में हक प्रार्थी का कब्जा काश्त होने से आपसी मौखिक विभाजन के मुताबिक बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 वहकावे में आये हुए है तथा उपरवर्णित खेत में आये हुए प्रार्थी के हक से जबरदस्ती बेदखल करने व कब्जा छुडाने व विक्रय हस्तान्तरण करने की दिनांक – 11.03.2022 को धमकी दी और अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 ने कहा कि खेत खसरान मेरे नाम है मेरे खातेदारी दर्ज है इसलिए इस खेत में मैं तुम्हे घुसने नही दूगां। और इन खेत के रकबे को किसी शख्स को अच्छी कीमत में विक्रय कर दूगां तब प्रार्थी ने दिनाँक 11.03.2022 को ही वादी संख्या 1 ता 11 से प्रार्थी के हिस्से का विभाजन कराने तथा किसी तरह की मदाखलत नहीं करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये और धमकी दी तुम्हें वादगत खेत में से एक बिस्वा भी नही देगे और खेत से बेदखल कर दूगां व पूरे खेत को विक्रय कर देगे इसलिए प्रार्थी को दिनाँक 11.03.2022 को अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का कॉज ऑफ एक्शन उत्पन हो गया है। प्रार्थी का वादगत खेत में कब्जा काश्त, मुखालफाना, आबाद एवं निरन्तर रुप से चला आ रहा है। प्रार्थी को अपने कब्जे काश्त की वादगत पैतृक कृषि की खातेदारी की हकुकों का विभाजन करवाना जरुरी हो गया है जिसका कॉज ऑफ एक्शन प्राथी को दिनांक 11.03.2022 प्राप्त हो गया [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 प्रार्थी के

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 15:35:07 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा काश्त व टाईटल से इन्कार कर रहे है। प्रार्थी को वादगत खेत की कृषि से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है। प्रार्थी को वादगत रकबा के हिस्से का हकदार एवं कब्जा–काश्त पिछले 15–20 वर्षो से होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 द्वारा प्रार्थी के खेत विक्रय कर दिया तो प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला अमैं नुकसान होगा जिसकी भरपाई होना संभव नहीं है। प्रार्थी उक्त खेत को शुरु से ही अपने हक हिस्सा में काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 ने दिनाँक 11.03.2022 को प्रार्थी को वादगत पर प्रवेश न करने, कृषि कार्य नही करने तथा अप्रार्थी सख्या 1 ने वादगत खेत में जबरदस्ती प्रवेश करने, कब्जा करने व वादगत खेत को विक्रय करने की धमकियां दी है । प्रार्थी ने अप्रार्थी सख्या 1 को वादगत खेत में उनके हिस्से की की खाता विभाजन करवाने तथा किसी प्रकार की दखल न देने बाबत निवेदन किया, तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 ने साफ इनकार कर दिया और धमकिया दी कि तुमको वादगत खेत में न तो घुसने दूगां, ना ही तुम्हारे हिस्से की लेने देगे, वादगत खेत से बेदखल कर विक्रय, बैय, हस्तान्तरण कर दूगां इस प्रकार प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 द्वारा दी गई धमकी की दिनाँक से वाद हेतु प्राप्त है तथा वादगत खेत में प्रार्थी का हिस्सा निहित होने से वादाधार प्राप्त हैं इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जे काश्त से इनकार कर रहे है प्रार्थी को वादगत खेतों से बेदखल करने पर आमन्दा हो रहे है तथा प्रार्थी का कब्जा छुड़ाने की धमकिया दे रहे है इसलिए प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी वादगत खेत की का रकबा विक्रय, हस्तान्तरण करने की फिराक व कोशिश में है। अगर अप्रार्थी अपने गलत मकसद में सफल हो गये तो प्रार्थी को भारी अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थी अपने हक से वंचित हो जायेंगे। प्रार्थी का प्रथमदृष्टया मौखिक विभाजन व कब्जा काश्त है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी प्रार्थी को उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है व प्रार्थी को उसके हिस्से में प्रार्थी का जायज हिस्सा हड़प करने की धमकिया दे रहे है, अगर अप्रार्थी प्रार्थी को वादगत खेत से बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला अमैं नुकशान होगा, ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का सिद्धात भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी को वादगत खेत की कृषि से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमावे कि वो वादगत खेत खसरा नंबर 194 तादादी 6.0000 हैक्टेयर खसरा नंबर 405 तादादी 2.7500 हैक्टेयर रोही झन्झेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ में प्रार्थी के कब्जे काश्त में प्रवेश न करे किसी प्रकार का हस्तांतरण, बेय मुन्तकिल की कार्यवाही नहीं करें जिससे कि प्रार्थी के हक–अधिकारों पर कुठाराघात होता हो तथा ऐसा कोई कृत्य या अकृत्य नहीं करें जिससे प्रार्थी के [illegible] पर विपरीत असर पड़ता हो

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 15:35:07 IST
Reason: SelfAttested

तथा दावे के निस्तारण तक वादगत रकबा के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 व 14 एवं 6 ता 11 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर निवेदन किया गया कि वादगत खेत खसरा नम्बर 194 तादादी 6.000 हैक्टेयर एवं खसरा 405 तादादी 2.7500 हैक्टेयर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 के संयुक्त खातेदारी दर्ज है जबकि आपसी पारिवारिक विभाजन में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 का कब्जा काश्त खराश नम्बर 194 तादादी 6,000 हैक्टेयर में से 3.0800 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 105 तादादी 2.7600 हैक्टेयर पर शुरू से ही चला आ रहा है वादगत खेतो में अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 कब्जे काश्त एवं पारिवारिक विभाजन के अनुसार खातेदारी दर्ज करवाकर विभाजन करवाना चाहते है । अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से एवं कब्जा काश्त को सुधार करवाकर उपजाऊ कर रखा है अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 कब्जे काश्त एवं मौके के अनुसार खातेदारी घोषित करवाकर विभाजन करवाने के अधिकारी है। वादगत खसरानो अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 का खसरा नम्बर 405 तादादी 2.7500 हैक्टेयर में से 2.0600 हैक्टेयर एवं एवं खसरा नम्बर 194 तादादी 6.0000 हैक्टेयर में से 2.3000 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है कब्जा काश्त के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 11 को खातेदार घोषित करवाना जरूरी हो गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 को बेदखल कर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 के हक हिस्से को विक्रय कर बेदखल कर आमन्दा हो रहे है जिनको जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जाना आवश्यक हो गया है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 को कब्जे काश्त से बेदखल नही करे कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी नही करे दावें के निस्तारण तक वादगत रकबा के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 व 14 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि खेत खसरा नम्बर 405 तादादी 2.75 हैक्टेयर भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने अप्रार्थी संख्या 14 को दिनांक 11.03.2022 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा अपना 5/15 हिस्सा विक्रय कर दिया । अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादगत खेत खसरा नम्बर 405 तादादी 2.75 हैक्टेयर में से 5/15 हिस्सा विक्रय करने के बाद प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत किया हैं। खेत खसरा नम्बर 194 तादादी 6.000 हैक्टेयर में अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का प्रत्येक [illegible] स्वीकार हैं। खेत खसरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 15:35:07 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 405 के 5/15 हिस्सा पर अप्रार्थी संख्या 14 का कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग चला आ रही हैं । अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने अपना संयुक्त रूप से 5/15 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 14 को विक्रय कर दिया। प्रार्थी ने जानबूझकर अप्रार्थी संख्या 14 को पक्षकार संयोजित नही किया। खेत खसरा नम्बर 405 तादादी 2.75 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने अप्रार्थी संख्या 14 को विक्रय कर दी। अप्रार्थी संख्या 14 ने वादगत खेत की 5/15 हिस्सा भूमि खरीद करने के बाद लाखो रूपये खर्च करके उपजाऊ बनायी हैं । प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नही किया हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 14 द्वारा भूमि खरीद करने के बाद रंजिशवंश उक्त मुकदमा गलत आधारों पेश किया हैं, प्रार्थी दिनांक 11.03.2022 को ना तो मिला ना ही विभाजन बाबत कोई बात हुई। वादगत खेत वादी के नाम संयुक्त खातेदारी का है, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र/दावा में घोषणात्मक अनुतोष का कोई औचित्य ही नही हैं । वादगत खेत खसरा नम्बर 405 तादादी 2.75 हैक्टेयर के 5/15 हिस्सा का मालिक अप्रार्थी संख्या 14 हैं। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने में प्रार्थी कानून सक्षम नही हैं। दावा दायरी से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने अपने हिस्सा की भूमि को अप्रार्थी संख्या 14 को विक्रय कर दी । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। अप्रार्थीगण कतई किसी के बहकावे में आये हुये नही हैं। वादगत खेत खसरा नम्बर 405 के विक्रय की जानकारी प्रार्थी को शुरू से ही हैं। प्रार्थी ने वादगत खेत विक्रय होने के बाद अप्रार्थी संख्या 14 को पक्षकार संयोजित किये बिना ही उक्त प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर पेश किया हैं । प्रार्थी साफ हाथो से न्यायालय में नही आया हैं । प्रार्थी को वादगत खेत के मालिक व खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नही हैं। प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 405 पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा नही रहा हैं । प्रार्थी का वादगत खेत पर कब्जा ही नही है, ऐसी स्थिति में वादी को बेदखल करने के तथ्य हास्यास्पद हैं। प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 405 पर कभी कब्जा ही नही रहा हैं । ऐसी स्थिति में बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं। । प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 405 कब्जा ही नही रहा है, इसलिए पिछले 15–20 वर्षो से कब्जा होने के कारण प्रथम दृष्ट्या मामला नही बनता है ना ही सुविधा संतुलन का सिद्वान्त बनता हैं तथा ना ही प्रार्थी को किसी भी प्रकार से अपूरणीय क्षति हो रही हैं । प्रार्थी दिनांक 11.03.2022 को अप्रार्थीगण से मिला ही नही इसलिए किसी भी प्रकार की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं। वादगत खेत खसरा नम्बर 405 अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने अप्रार्थी संख्या 14 को विक्रय ही कर दिया। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के द्वारा धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं। प्रार्थी का वादगत खेत पर कब्जा ही नही रहा है ऐसी स्थिति में बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं । फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज़ किये जाने योग्य हैं। दावा/प्रार्थना पत्र दायरी से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 14 को विक्रय कर दिया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 13 को बेवजह ही पक्षकार संयोजित किया गया हैं। प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally Signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 15:35:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रार्थना पत्र पक्षकारों असंयोजन से ग्रसित है, जो खारिज किये जाने योग्य हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष ना तो प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है ना ही सुविधा संतुलन का सिद्वान्त बनता है ना ही प्रार्थी को किसी भी अपूरणीय क्षति हो रही हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य हैं। खेत खसरा नम्बर 405 तादादी 2.75 हैक्टेयर भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने अप्रार्थी संख्या 14 को दिनांक 11.03.2022 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा अपना 5/15 हिस्सा विक्रय कर दिया । अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादगत खेत खसरा नम्बर 405 तादादी 2.75 हैक्टेयर में से 5/15 हिस्सा विक्रय करने के बाद प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत किया हैं । प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 14 को जानवूझकर पक्षकार संयोजित नही किया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पक्षकारों असंयोजन से ग्रसित हैं । अप्रार्थी संख्या 14 खेत खसरा नम्बर 405 तादादी 2.75 हैक्टेयर की 5/15 हिस्सा का मालिक हैं। प्रार्थी को वादगत खेत के मालिक के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नही हैं । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं एवं प्रार्थी का प्रार्थन पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के सर्मथन में माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यू के न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्ल्यू 2005(1)आरजे पृष्ठ संख्या 401 से 404 पेश की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 11 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि वादगत खेत खसरा नम्बर 194 तादादी 6.000 हैक्टेयर एवं खसरा 405 तादादी 2.7500 हैक्टेयर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 के संयुक्त खातेदारी दर्ज है जबकि आपसी पारिवारिक विभाजन में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 194 तादादी 6.000 हैक्टेयर में से 3.0800 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 405 तादादी 2.7500 हैक्टेयर पर शुरू से ही चला आ रहा है वादगत खेतो में अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 कब्जे काश्त एवं पारिवारिक विभाजन के अनुसार खातेदारी दर्ज करवाकर विभाजन करवाना चाहते है । अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से एवं कब्जा काश्त को सुधार करवाकर उपजाऊ कर रखा है अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 कब्जे काश्त एवं मौके के अनुसार खातेदारी घोषित करवाकर विभाजन करवाने के अधिकारी है। वादगत खसरानो अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 का खसरा नम्बर 405 तादादी 2.7500 हैक्टेयर में से 2.0600 हैक्टेयर एवं एवं खसरा नम्बर 194 तादादी 6.0000 हैक्टेयर में से 2.3000 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है कब्जा काश्त के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 11 को खातेदार घोषित करवाना जरूरी हो गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 को बेदखल कर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 के हक हिस्से को विक्रय कर बेदखल कर आमन्दा हो रहे है जिनको जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः जबावप्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर. श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 15:35:07 IST
Reason: SelfAttested

कि अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 को कब्जे काश्त से वेदखल नही करे कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी नही करे मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। खेत खसरा नंबर 405 तादादी 2.75 हैक्टेयर भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने अप्रार्थी संख्या 14 को दिनांक 11.03.2022 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा अपना 5/15 हिस्सा दावा/प्रार्थना पत्र दायरी से पूर्व ही विक्रय कर दिया था। अप्रार्थी संख्या 14 खेत खसरा नंबर 405 तादादी 2.75 हैक्टेयर की 5/15 हिस्सा भूमि का मालिक है। वादगत खेत खसरा नंबर 194 तादादी 6.000 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 405 तादादी 2.7500 हैक्टेयर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जब तक संयुक्त खातेदारी की भूमि का विभाजन नहीं हो जाता, सहकाश्तकारों का उस भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा रहेगा। वादी और सह काश्तकारों के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन, अपूर्णीय क्षति सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनना साबित नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 15:35:07 IST
Reason: SelfAttested